पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन

बनाम

बिहार राज्य

2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1447

22 सितंबर, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली और माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बेलागंज थाना कांड संख्या- 252/2012, जी.आर. संख्या 3972/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 337/2017/561/2014 (ए. न्या.) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, गया द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा का फैसला सही है या नहीं?

हेडनोट्स

भारतीय दंड संहिता, 1860—धारा 376—बलात्कार—पीड़िता के साथ अभियुक्त/अपीलकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया—अभियुक्त/अपीलकर्ता को पीड़िता लड़की के साथ उस कमरे में पाया गया, जहां घटना घटी थी—सह-ग्रामीणों के आने पर कमरे का दरवाजा खोलकर अभियुक्त/अपीलकर्ता घटनास्थल से भागते हुए पाए गए।

निर्णय: अभियोजन पक्ष/पीड़िता के बयान/गवाही को पहली नजर में स्वीकार करना कठिन है—भौतिक विवरणों की पुष्टि का अभाव—उसकी चिकित्सीय जांच में हिंसा का कोई निशान नहीं पाया गया—पीड़िता ने बयान दिया कि वह उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर और थाना गई थी जो उसने घटना के दौरान पहने हुए थे, लेकिन अ. सा.-8 ने स्पष्ट रूप से बयान दिया कि पीड़िता को मूल कपड़ों में पेश नहीं किया गया था—पीड़िता ने बयान दिया कि घटना के बाद, जब वह कथित कमरे से बाहर आई, तो उसने किसी भी ग्रामीण को नहीं देखा, लेकिन अपने मुख्य परीक्षण में ही उसने बयान दिया कि जिस क्षण वह घर से बाहर आई, उसने आरोपी/अपीलकर्ता के सभी परिवार के सदस्यों को घर के अंदर पाया—मामले के जांच अधिकारी से पूछताछ न करना भी घातक प्रतीत होता है—आरोपी/अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए केवल पीड़िता/अभियोजन पक्ष के बयान पर भरोसा करने में अत्यधिक कठिनाई—अपील स्वीकार की गई—दोषसिद्धि के आक्षेपित फैसले और सजा के आदेश को रद्द किया गया—आरोपी/अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया गया। **(पैराग्राफ 27, 29, 30)**

न्याय दृष्टान्त

रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, **(2007) 2** एससीसी **170;** नरेंद्र कुमार बनाम राज्य **(**एनसीटी दिल्ली**), (2012)** 7 एससीसी **171;** मनोहरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, **(2014) 15** एससीसी **587;** संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य, **(2020) 3** एससीसी **443—पर भरोसा किया गया।**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

बलात्कार, जांच अधिकारी, अभियोक्ता, चिकित्सा परीक्षण का न होना।

प्रकरण से उत्पन्न

बेलागंज थाना कांड संख्या- 252/2012, जी.आर. संख्या 3972/2012 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 337/2017/561/2014 (ए. न्या.) के संबंध में विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट, सिविल कोर्ट, गया द्वारा दिनांक 06.10.2017 को दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 07.10.2017 को सजा के आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता की ओर से**:** श्री अजय कुमार ठाकुर**,** अधिवक्ता**;** श्री ऋत्विक ठाकुर**,** अधिवक्ता**;** श्रीमती वैष्णवी सिंह**,** अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से: श्री अभिमन्यु शर्मा**,** अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री सुजीत कुमार सिंह**,** एपीपी।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: श्री आभाष चंद्र, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (खं. पी.) संख्या.1447

थाना कांड संख्या-252 वर्ष-2012 थाना-बेलागंज जिला-गया से उद्भूत

==

चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन, पिता- गिरिजा नंदन प्रसाद, निवासी- नन्हकू बीघा, थाना-बेलागंज, जिला-गया, बिहार।

... ...याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

बिहार राज्य

....उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
		श्री ऋत्विक ठाकुर, अधिवक्ता
		श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं के लिए	:	श्री अभिमन्यु शर्मा, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री सुजीत कुमार सिंह, स.लो.अ.

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली

एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

दिनांक: 22-09-2023

याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय कुमार ठाकुर और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री सुजीत कुमार सिंह को सुना।

2. उपरोक्त नामित अभियुक्त/याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'दं. प्र. सं.') की धारा 374(2) के अंतर्गत प्रस्तुत वर्तमान याचिका, जिसमें बेलागंज थाना कांड संख्या 252/2012, जी.आर. संख्या 3972/2012 से उद्भूत 2014 (ए. न्या.) के 2017/561 के सत्र परीक्षण संख्या 337 के संबंध में पारित दिनांक 06.10.2017 के दोषसिद्धि के निर्णय और दिनांक 07.10.2017 के सजा आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय, दीवानी न्यायालय, गया ने याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भा. दं. सं.') की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया और उसे कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

3. अभियोजन पक्ष के मामले का सार जो कि सूचक/पीड़िता/**अ.सा.-4** की लिखित सूचना से निकलता है वो यह है कि वह अपनी माँ के साथ दस दिन पहले बेलागंज के नन्हकू बिगहा गाँव स्थित अपने *ननिहाल* आई थी। 04.10.2012 की शाम लगभग 5:30 बजे, जब वह शौच के लिए जा रही थी, तो जब वह गाँव में कमलेश यादव नाम के व्यक्ति के घर के पास पहुँची, तो अभियुक्त चुनचुन कुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कमलेश यादव के घर में घसीट लिया, तब उसने शोर मचाया। अभियुक्त चुनचुन कुमार ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया, ज़मीन पर पटक दिया और उसके साथ बलात्कार किया। उसने रोने की कोशिश की, लेकिन उसका मुँह दबा दिया गया। कुछ देर बाद, पीड़िता/अ.सा.-4 की मौसी, सावित्री देवी आईं और दरवाज़ा खटखटाया। इसके बाद अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने पीड़िता/अ.सा-4 को छोड़ दिया, दरवाज़ा खोला और भाग गया। बताया गया है कि पीड़िता/अ.सा-4 की माँ, अर्थात्, शर्मिला देवी और मौसी सावित्री देवी, सरस्वती देवी, समुद्री देवी कमरे में घुस गईं और पीड़िता/अ.सा-4 को बाहर ले आईं। इसी बीच, सुशीला देवी, कमलेश यादव कि पत्नी, अभियुक्त/याचिकाकर्ता की पत्नी, मालती देवी (अभियुक्त/याचिकाकर्ता की माँ), राजमंती, गिरिजा प्रसाद और अखिलेश प्रसाद पहुँच गए। जब पीड़िता/अ.सा-4 की माँ और मौसी ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन द्वारा बलात्कार की शिकायत की, तो उन्होंने

उनके साथ गाली-गलौज की और उनके बाल पकड़कर घूँसों और थप्पड़ों से मारपीट की। इसके बाद, वे रामदेव प्रसाद (नाना) के घर वापस आ गए।

4. सूचक/पीड़िता (अ.सा.-4) के उपरोक्त स्व-कथन के आधार पर, बेलागंज थाना मामला संख्या 252/2012 दिनांक 04.10.2012 दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने याचिकाकर्ता सहित सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376/149, 341/149, 323/149, 504/149 के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें विद्वान क्षेत्राधिकार दंडाधिकारी ने उपरोक्त अपराधों के लिए संज्ञान लिया और दं.प्र.सं. की धारा 207 के अनुपालन के बाद, दं.प्र.सं. की धारा 209 के तहत उपलब्ध शासनादेश के अनुसार मामले को सुनवाई और निपटान के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया।

5. अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन यादव के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत आरोप तय किए गए, साथ ही अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार, सुशीला देवी, मालती देवी, राजवंती देवी, अखिलेश प्रसाद और गिरिजानंदन प्रसाद के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत आरोप तय किए गए। भारतीय दंड संहिता की धारा 341/149, 323/149 और 504/149 के तहत एक अलग आरोप भी तय किया गया था, जिसके बारे में अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार सहित अभियुक्तों को विधिवत समझाया गया था कि उन्होंने "दोषी नहीं" होने का दावा किया और मुकदमे की मांग की।

6. विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अपना मामला स्थापित करने के लिए मुकदमा शुरू करते समय अभियोजन पक्ष ने कुल आठ (08) गवाहों से पूछताछ की, जिनके नाम हैं: सावित्री देवी (अ.सा.-1), समुंद्री देवी (अ.सा.-2), शर्मिला देवी (अ.सा.-3), जो पीड़िता की माँ हैं, शिम्पी कुमारी (अ.सा.-4), जो पीड़िता हैं और इस मामले की सूचक भी हैं, इंद्रेश यादव (अ.सा.-5), जो पीड़िता का भाई हैं, राम देव यादव (अ.सा.-6), जो पीड़िता के पिता हैं, पिंटू यादव (अ.सा.-7), और डॉ. पूनम कुमारी (अ.सा.-8)।

7. अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों का भी प्रदर्शन किया जो इस प्रकार हैंः

1. **प्रदर्श 1** - फर्दबयान एफ.आई.आर. पर छह हस्ताक्षर।
2. **प्रदर्श 1/1**- लिखित रिपोर्ट पर पीड़िता के हस्ताक्षर।
3. **प्रदर्श 2** – दं.प्र.सं. की धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता के हस्ताक्षर।
4. **प्रदर्श 3** - पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट।

8. अभियोजन पक्ष के मामले को बंद करने के बाद, अभियुक्त/याचिकाकर्ता का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें वे उन्हें समझाई गई सभी आपत्तिजनक परिस्थितियों/साक्ष्यों से इनकार करके अपनी पूरी बेगुनाही दिखाते हैं।

9. मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में एक गवाह, अशोक कुमार सिंह (ब.सा.-1) से पूछताछ की गई, जहाँ बचाव पक्ष में अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार का ड्यूटी चार्ट भी प्रदर्शित किया गया, जो इस प्रकार है:

प्रदर्श 'ए'- ड्यूटी चार्ट।

10. मुकदमे की समाप्ति के बाद, विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों, कानूनी स्थिति और पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त/याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया, जहाँ दोषसिद्धि के बाद, अभियुक्त/याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत किए गए अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, शेष आरोपियों को ऊपर वर्णित उनके संबंधित आरोपों से बरी कर दिया गया। आक्षेपित निर्णय इस बात पर मौन है कि क्या अभियुक्त/याचिकाकर्ता, भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323 और 504 (सहित धारा 149) के तहत लगाए गए आरोपों के लिए दोषी ठहराए जाने पर दोषसिद्धि और

सजा के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्त/याचिकाकर्ता अर्थात् चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की है।

11. इसलिए, वर्तमान अपील की गई।

<u>याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क</u>

12. अभियुक्त/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। यह बताया गया है कि इस मामले के अभियोक्त्री/पीड़िता, जिनकी विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष अ.सा.-4 के रूप में जाँच की गई थी, के बयानों से कई विरोधाभासी सामग्री सामने आई है और निश्चित रूप से उनके बयानों को 'उत्कृष्ट गवाह' के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटना कमलेश यादव के घर के अंदर हुई, जो अपनी पत्नी और छह बच्चों के साथ वहाँ रह रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि घटनास्थल तीन तरफ से दीवार से और एक तरफ से घर से घिरा हुआ है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा पीड़िता/अभियोक्त्री को सड़क से घर के अंदर घसीटने का मामला पहली नज़र में विश्वसनीय नहीं लगता। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि गवाहों के बयानों में कई विरोधाभासी सामग्री मौजूद है, जिन्होंने दावा किया है कि वे अभियोक्त्री/पीड़िता द्वारा शोर मचाने पर घटनास्थल पर पहुँचे थे और उनमें से अधिकांश अभियोक्त्री/पीड़िता के रिश्तेदार/परिवार के सदस्य हैं। यह भी बताया गया है कि स्थानीय राजनीतिक विवाद और मतभेदों के चलते, अभियोक्त्री/पीड़िता के मामा की बेटी, प्रीति कुमारी, जो बिहार पुलिस में पुलिस निरीक्षक के रूप में कार्यरत हैं, के हस्तक्षेप से यह झूठा मामला दर्ज किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि चिकित्सा परीक्षण में अभियोक्त्री/पीड़िता पर कोई चोट नहीं दिखाई दी गई, बल्कि, वह मासिक धर्म में पाई गई। तर्क का समापन करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले के जाँच अधिकारी से भी मुकदमे के दौरान पूछताछ नहीं की

गई, जिससे अभियुक्त/याचिकाकर्ता अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों का खंडन करने से वंचित हो गया, जो मुकदमे के दौरान पहली बार सामने आए थे और इस प्रकार, उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आपराधिक मुकदमे के मूल कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया गया।

13. तर्क का समापन करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट पर भरोसा किया, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में बताया गया है:

(i) रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य

(2007) 2 एस.सी.सी. 170 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

(ii) नरेंद्र कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)

(2012) 7 एस.सी.सी. 171 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

(iii) मनोहरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य

(2014) 15 एस.सी.सी. 587 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

(iv) संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य

(2020) 3 एस.सी.सी. 443 के रूप में रिपोर्ट किया गया।

राज्य के लिए विद्वान स.लो.अ. का तर्क

14. राज्य की ओर से उपस्थित होते हुए विद्वान स.लो.अ. ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता को एक कमरे में पीड़िता लड़की के साथ पाया गया था, जहां घटना हुई थी और इसी तथ्य की पुष्टि अभियोजन पक्ष के कई गवाहों द्वारा की गई है, जो अभियोक्त्री/पीड़िता द्वारा उठाए गए खतरे पर तुरंत पहुंचे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता विभिन्न अभियोजन पक्ष के गवाहों और सह-ग्रामीणों के आने पर कमरे का दरवाजा खोलने के बाद घटना स्थल से भाग गया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बलात्कार एक कानूनी निष्कर्ष है और इसलिए, किसी भी शारीरिक चोट का पता न लगने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि, *वास्तव में,* बलात्कार नहीं किया गया था। यह प्रस्तुत

किया जाता है कि पीड़िता ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता के खिलाफ अपने बयान के माध्यम से लगातार घटना का समर्थन किया और इस तरह, उसे 'उत्कृष्ट गवाह' के रूप में स्वीकार करने में कोई संदेह नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि, यदि अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों की ओर से मुकदमे के दौरान कोई विरोधाभास सामने आया है, तो उस मामले में अभियोक्त्री/पीड़िता द्वारा उस पर बलात्कार करने के दृढ़ बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है।

15. हमने विचारण न्यायालय के अभिलेख और कार्यवाही का अवलोकन किया है और पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलें सुनी हैं।

प्रमाणों की विवेचना

16. अ.सा.-4 पीड़िता होने के साथ-साथ इस मामले की सूचक भी है। उसके बयान से पता चलता है कि इस घटना से दस दिन पहले, वह अपने मामा के गाँव में थी और 04.05.2012 को, जब वह अपनी दिनचर्या के लिए जा रही थी, लगभग 5:30 बजे शाम को जब वह कमलेश यादव के घर के पास पहुँची, तो चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन (अभियुक्त/याचिकाकर्ता) ने उसे पकड़ लिया और कमलेश यादव के घर में घसीट लिया। अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने उसका मुँह दबाया और कमरे को अंदर से बंद कर दिया और उसके बाद उसे ज़मीन पर धकेल कर बलात्कार किया। कुछ देर बाद, पीड़िता की माँ ने दरवाज़ा खटखटाया और अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने दरवाज़ा खोला और भाग गया। उसकी माँ कमरे में आई और उसे ठीक से कपड़े पहनाने के बाद उसे नाना के घर ले आई। उसने बयान दिया कि जब वह कमलेश यादव के घर से बाहर आई, तो उसकी माँ ने अभियुक्त मालती देवी, इंदु देवी, सुशीला देवी, राजवंती देवी, कमलेश यादव, अखिलेश यादव और गिरिजानंद यादव से इस घटना की शिकायत की और शिकायत पर, उन सभी ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया और उसके बाद, उसे उसके मामा के घर ले जाया गया। इसके बाद वह थाना गई और मामला दर्ज कराया। उसने अपने *फर्द-ए-बयान* पर अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जो **प्रदर्श**

संख्या.1/1 के रूप में प्रदर्शित है। वह रात भर थाना में रही और सुबह अस्पताल गई और उसके बाद, अगले दिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया। उसने दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत अपने बयान पर अपने हस्ताक्षर भी दर्ज किए, जिसे **प्रदर्श संख्या.2** के रूप में प्रदर्शित किया गया है और उसके बाद, वह अपने गाँव आई। उसने अदालत के समक्ष उपस्थित अभियुक्तों की पहचान की और उन लोगों की भी पहचान करने का दावा किया, जो उस दिन उपस्थित नहीं थे।

जिरह के दौरान, उसने यह बयान दिया कि इंदु देवी अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन की पत्नी हैं, मालती देवी उनकी माँ हैं, राजवंती देवी और सुशीला देवी मौसी हैं, गिरिजानंद उनके पिता हैं और अखिलेश यादव उनके चाचा हैं। यह विशेष रूप से बयान दिया गया है कि कमलेश यादव अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन के चाचा हैं। उसने बताया कि उसके मामा का नाम पिंटू कुमार और इंद्रेश यादव है, जबकि उसके नाना का नाम रामदेव प्रसाद है। मौसी का नाम समुद्री देवी और सावित्री देवी है। उसके गाँव और उसके मामा के गाँव के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। उसने खुद को साक्षर बताया और यह भी दावा किया कि वह गांधी हाई स्कूल प्रभात नगर की छात्रा है। बताया गया कि इंदु देवी ने उन पर 2 से 3 मिनट तक मारपीट और घूँसों से हमला किया, उनकी पीठ पर भी हमला किया गया, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को यह नहीं बताया कि उन्हें चोट लगी है। उन्होंने बताया कि इस घटना से पहले उन्हें अभियुक्त/याचिकाकर्ता का नाम नहीं पता था और यह बात उनके मामा इंदर यादव ने भी बताई। उसने यह भी गवाही दी कि उसके एक मामा का नाम विजय यादव है, और विजय यादव की बेटी का नाम प्रीति कुमारी है, जो पुलिस निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। उसने यह भी बताया कि घटना के समय, वहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा था। कमलेश यादव का घर कई ग्रामीणों के घरों से घिरा हुआ है और जब उसे कमलेश के घर के बाहर अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने पकड़ा, तो कोई भी वहाँ नहीं आया। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे कमरे के अंदर ले जाने से पहले दो

मिनट तक घसीटा गया और इस प्रक्रिया में उसके पैर और हाथ में चोटें आईं। उसने यह भी बताया कि उसके हाथ पर चोटें आईं, जो सूज गया और पैर पर भी, जो लाल हो गया। उसने घसीटते हुए शोर मचाया। बताया गया है कि जब उसे कमरे के अंदर ले जाया गया, तो उसने अपनी माँ, मामा और गाँव वालों की कोई आवाज़ नहीं सुनी। उसने स्पष्ट रूप से बताया कि जब उसे ज़मीन पर फेंका गया, तो उसकी दाहिनी कोहनी पर चोटें आईं। बताया गया कि आधे घंटे बाद, दरवाज़ा खटखटाया गया, बलात्कार के दौरान उसने अभियुक्त/याचिकाकर्ता का हर संभव विरोध करने की पूरी कोशिश की। उसने बताया कि उसकी पीठ, कोहनी और कमर पर चोटें आईं, लेकिन ये चोटें केवल खरोंच जैसी थीं। उसने बताया कि घटना के दौरान खून बह रहा था, लेकिन यह नहीं बताया कि खून ज़मीन पर फैला था या नहीं, लेकिन उसने गवाही दी कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे। उसने बताया कि घटना के दौरान उसने '*सलवार*' पहनी हुई थी, जिसका नाड़ा अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने तोड़ दिया था। उसने यह भी गवाही दी कि जब उसकी माँ और मौसी कमरे के अंदर आईं, तो उसने अपनी सलवार का नाड़ा बाँधा और जब वह घटना के बाद कमरे से बाहर आई, तो उसे कोई ग्रामीण नहीं मिला। वह थाने और अस्पताल भी उन्हीं कपड़ों में गई जो उसने घटना के समय पहने हुए थे। उक्त कपड़े पुलिस निरीक्षक द्वारा नहीं लिए गए थे, लेकिन उन्होंने डॉक्टर को बताया कि घटना के समय उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने यह भी गवाही दी कि कपिल यादव को वह नहीं जानतीं। उन्होंने यह भी कहा कि कपिल यादव ने जानबूझकर गवाही देने के सुझाव से इनकार किया क्योंकि कपिल यादव उनके चचेरे मामा हैं, जो राजेश कुमार नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में अभियुक्त हैं और दबाव बनाने के लिए, यह झूठा आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार उर्फ टुनटुन, कमलेश के साथ अलग से रह रहे थे या नहीं। वह यह बताने में विफल रही कि प्रीति कुमारी की माँ और अभियुक्त/याचिकाकर्ता ममता देवी की चाची ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा था जिसमें ममता देवी निर्वाचित हुईं और इसी कारण से प्रीति कुमारी ने कपिल

यादव और ममता देवी के साथ मिलीभगत करके यह झूठा और मनगढ़ंत मामला दर्ज कराया। उसने इस बात से भी इनकार किया कि चूँकि वह पनाही स्कूल में पढ़ रही थी और प्रीति कुमारी के साथ रह रही थी, इसलिए उसके प्रभाव में आकर उसने यह मामला दर्ज कराया, जो कभी घटी ही नहीं थी।

17. अ.सा.-1 सावित्री देवी और अ.सा.-2 अर्थात् समुद्री देवी अभियोक्त्री/पीड़िता की मौसी हैं और अ.सा.-3 अर्थात् शर्मिला देवी माँ हैं, जिन्होंने अपने जाँच-प्रमुख में लगभग उसी तथ्य को अपदस्थ कर दिया था, क्योंकि वे अज्ञात व्यक्ति द्वारा शोर मचाने पर घटना स्थल पर पहुंचे थे। अ.सा.-1 ने गवाही दी कि उसे पता चला कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन कुमार पीड़िता को जबरन कमलेश यादव के घर के कमरे में ले गया था और जब वह अ.सा.-2 और अ.सा.-3 के साथ वहाँ पहुँची, तो उन्होंने पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था और तब तक उन्होंने देखा कि मालती देवी, राजवंती देवी, सुशीला देवी, गिरिजानंद प्रसाद, अभियुक्त/याचिकाकर्ता की पत्नी, अर्थात्, इंदु देवी और अखिलेश प्रसाद वहाँ मौजूद थे। उसने गवाही दी कि जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने दरवाज़ा खोला और भाग गया, जबकि पीड़िता कमरे के अंदर ही रही और अर्धनग्न थी, जहाँ पूछताछ करने पर उसने घटना का खुलासा किया कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। जब इस घटना की सूचना अभियुक्त/याचिकाकर्ता के माता-पिता और परिवार के सदस्यों को दी गई, तो उन पर हमला किया गया। उसने गवाही दी कि अन्य लोग बाहर ही थे, जबकि वह दो लोगों के साथ उस कमरे में घुस गई थी जिसमें घटना घटी थी। जिरह में उसने गवाही दी कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता चारदीवारी फांदकर भाग गया । घर में दो कमरे और तीन तरफ से दीवारों से घिरा एक आँगन था, लोगों ने अभियुक्त/याचिकाकर्ता का पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पश्चिम दिशा की ओर भाग गया। उसने गवाही दी कि मालती देवी अभियुक्त/याचिकाकर्ता की माँ है, राजवंती देवी और सुशीला देवी चाची हैं, गिरिजानंद

प्रसाद उसके पिता हैं और अखिलेश प्रसाद अभियुक्त/याचिकाकर्ता के चाचा हैं। उसने बताया कि पीड़िता को उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर के पास ले जाया गया जो उसने घटना के समय पहने हुए थे। उसने बताया कि ये कपड़े पुलिस निरीक्षक को मामले की जाँच के लिए नहीं दिए गए थे।

18. अ.सा.-2 अर्थात् समुद्री देवी, जो घटनास्थल पर मौजूद थी, ने अपने मुख्य परीक्षण में ही यह बयान दिया कि पीड़िता ने दरवाजा खोला और फिर, वह कमरे के अंदर गई और उसके बाद, अभियुक्त/याचिकाकर्ता भाग गया। उसने अपनी जिरह में गवाही दी कि उसने अभियुक्त/याचिकाकर्ता चुनचुन को अभियोक्त्री/पीड़िता को कमलेश के घर के पास पकड़ते हुए देखा था और उसे अंदर ले जाते और दरवाज़ा बंद करते हुए भी देखा था, लेकिन बाद में उसने कहा कि वह घटना की चश्मदीद गवाह नहीं है।

19. अ.सा.-3 पीड़िता की माँ है जो घटना की तारीख को अपने पैतृक गाँव में भी मौजूद थी, जहाँ घटना घटी थी, लेकिन वह घटना की प्रत्यक्षदर्शी नहीं थी। उसने बताया कि दरवाज़ा ग्रामीणों ने खटखटाया था, और पाँच मिनट तक खटखटाया गया और उसके बाद उसे खोला गया और उस समय तक कुल दस लोग आँगन में इकट्ठा हो चुके थे। उसने बताया कि अखिलेश का घर चार कमरों का था, जहाँ उसकी पत्नी, चार बेटियाँ और दो बेटे रहते थे। उसने विशेष रूप से गवाही दी कि घटना के दौरान तीन महिलाओं को चोटें आईं और उनका इलाज भी किया गया। पुलिस निरीक्षक प्रीति कुमारी घटना वाले दिन थाने जाने से पहले घर नहीं गई थीं, बल्कि वह घटना के दूसरे दिन आई थीं।

20. अ.सा.-5, अ.सा.-6 और अ.सा.-7 भी घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-3 से प्राप्त सुनी-सुनाई बातों के आधार पर गवाही दी है। अ.सा.-5, अ.सा.-2 का पति है और इस प्रकार अभियोक्त्री/पीड़िता का रिश्तेदार भी प्रतीत होता है। अ.सा.-6 रामदेव यादव है, जिसे

घटना के बारे में समुद्री देवी (अ.सा.-2) से पता चला, जो उसकी पुत्रवधू है। तदनुसार, यह गवाह अभियोक्त्री/पीड़िता का नाना प्रतीत होता है।

21. अ.सा.-7 पिंटू यादव है, जिसे भी घटना के बारे में सावित्री देवी (अ.सा.-1), शर्मिला देवी (जिनकी जाँच नहीं हुई) और समुद्री देवी (अ.सा.-2) से पता चला। उसने जिरह में बताया कि प्रीति कुमारी उसकी भतीजी है और वह पुलिस निरीक्षक है और उसका भाई भी बिहार पुलिस में कार्यरत है। उसने गवाही दी कि प्रीति की माँ, विजयलक्ष्मी और अभियुक्त/याचिकाकर्ता की माँ, ममता देवी, ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उसने राजनीतिक विवादों के चलते झूठी गवाही देने से इनकार किया।

22. अ.सा.-8 वह डॉक्टर हैं, जिनका नाम डॉ. पूनम कुमारी है, जिन्होंने 05.11.2012 को लगभग 1:30 बजे दोपहर में पीड़िता की जांच प्रभावती अस्पताल, गया में की, जहाँ वह एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं और पाया कि:

(i) कपड़े मूल नहीं हैं।

(ii) एम. बी.- हिंसा का कोई निशान मौजूद नहीं है।

(iii) योनि स्लाइड में किसी भी जीवित या मृत 'शुक्राणु' की उपस्थिति नहीं दिखाई दी।

(iv) जघवास्थि के बाल मौजूद होते हैं। जघन बाल का कोई निशान नहीं। मॉन्स वेनेरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा सामान्य दिख रहे हैं। वेस्टिबुल, फोरचेट और पोस्टीरियर कमिसर को गीले रुई के फाहे से पोंछने के बाद देखा गया, सभी सामान्य दिख रहे हैं क्योंकि पीड़िता मासिक धर्म से गुज़र रही है। इसकी पुष्टि वीक्षक जांच से हुई है और बाहर से खून आता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि उसके गुप्तांग पर बाहरी या आंतरिक हिंसा का कोई निशान नहीं है। उसके गुप्तांग पर कोई बाहरी दाग या कोई बाहरी बाल नहीं है। योनि छिद्र से आसानी से तर्जनी उंगली आ सकती है।

विचार:- हालाँकि हाल ही में यौन संभोग का कोई सबूत नहीं है, फिर भी बलात्कार से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह रिपोर्ट उनके द्वारा लिखी और हस्ताक्षरित की गई है और **प्रदर्श संख्या.3** के रूप में प्रदर्शित की गई है।

जिरह के दौरान, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि पीड़िता मासिक धर्म में थी और उसे चलने में कोई दर्द नहीं हुआ। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे अपनी बांह, स्तन, पेट के निचले हिस्से, चेहरे, जांघ के अंदरूनी हिस्से पर हिंसा का कोई निशान नहीं मिला। योनि छिद्र से तर्जनी उंगली आसानी से आ जाती है। इस स्तर पर एक प्रश्न पूछा गया कि क्या वह संभोग की आदी थी और इसका उत्तर नकारात्मक में दिया गया। उसने कहा कि बलात्कार से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किस आधार पर, उसने यह नहीं बताया।

23. रामदास एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2007) 2 एस.सी.सी. 170 में प्रतिवेदित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका सं. **23** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> *23. इसमें कोई संदेह नहीं है कि बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि पूरी तरह से अभियोक्त्री की गवाही पर आधारित हो सकती है, लेकिन यह ऐसे मामले में किया जा सकता है जहां अदालत अभियोक्त्री की सच्चाई के बारे में आश्वस्त है और ऐसी कोई परिस्थितियां मौजूद नहीं हैं जो उसकी सच्चाई पर संदेह की छाया डालती हैं। यदि अभियोक्त्री का साक्ष्य ऐसी गुणवत्ता का है जो केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है। तत्काल मामले में हम उसके साक्ष्य को ऐसी गुणवत्ता का नहीं पाते हैं।*

24. संतोष प्रसाद उर्फ संतोष कुमार बनाम बिहार राज्य, **(2020) 3 एस.सी.सी. 443** में प्रतिवेदित, के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका संख्या **5.4, 5.4.1, 5.4.2** और **5.4.3** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

> *5.4 अभियोक्त्री के साक्ष्य पर विचार करने से पहले, राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) 15 एस.सी.सी. 133 और राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी*

क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एस.सी.सी. 21 के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ लिया जाना और उन पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिन पर अभियुक्त/याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने भरोसा किया है।

5.4.1 राजू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2008) 15 एस.सी.सी. 133 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा कंडिका 11 और 12 में निम्नलिखित अवलोकन और निर्णय दिया गया है:

"11. इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि बलात्कार पीड़िता के लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़ और अपमान का कारण बनता है, लेकिन साथ ही बलात्कार का झूठा आरोप, अभियुक्त को भी को उतना ही तकलीफ़, अपमान और नुकसान पहुँचा सकता है। अभियुक्त को झूठे आरोप लगाने की संभावना से भी बचाया जाना चाहिए, खासकर जहाँ बड़ी संख्या में अभियुक्त शामिल हों। इसके अलावा, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि व्यापक सिद्धांत यह है कि एक घायल गवाह घटना के समय मौजूद था और आमतौर पर ऐसा गवाह हमलावरों के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसी कोई धारणा या आधार नहीं है कि ऐसे गवाह का बयान हमेशा सही हो या बिना किसी अलंकरण या अतिशयोक्ति के हो।

12. पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, [(1996) 2 एस.सी.सी. 384 : 1996 एस.सी.सी. (क्रि) 316] में 1983 में दंड संहिता की धारा 375 और 376 में किए गए संशोधनों का संदर्भ दिया गया है, जिससे बलात्कार से संबंधित दंडात्मक प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया है, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-ए का भी संदर्भ दिया गया है, जो कथित बलात्कार के मामले में सहमति से यौन संबंध के आरोपों के संबंध में लगाई जाने वाली धारणा के संबंध में है। हालाँकि, यह महत्वपूर्ण है कि धारा 113-ए और 113-बी भी उसी संशोधन द्वारा साक्ष्य अधिनियम में जोड़ी गई थीं, जिसके द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज हत्या के मामलों में अभियुक्तों के विरुद्ध कुछ धारणाएँ लगाई गई हैं। इस प्रकार, ये दोनों धाराएँ अभियोजन पक्ष के पक्ष में एक स्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करती हैं, लेकिन बलात्कार के

संबंध में ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि धारा 114-ए के तहत अनुमान अत्यंत सीमित है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बलात्कार के आरोपों के संबंध में, अभियोक्त्री के साक्ष्य की जाँच एक घायल गवाह के साक्ष्य के रूप में की जानी चाहिए, जिसकी घटनास्थल पर उपस्थिति संभावित है, लेकिन यह कभी नहीं माना जा सकता कि उसके बयान को, बिना किसी अपवाद के, सत्य मान लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसके बयान का, सर्वोत्तम रूप से, इस सिद्धांत पर निर्णय लिया जा सकता है कि आमतौर पर कोई भी घायल गवाह झूठ नहीं बोलेगा या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाएगा। हमारा मानना है कि इन्हीं सिद्धांतों के तहत इस मामले और इस जैसे अन्य मामलों की जाँच की जानी चाहिए।

5.4.2 *राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 8 एस.सी.सी. 21 के मामले में, इस न्यायालय को यह विचार करने का अवसर मिला कि किसे "उत्कृष्ट गवाह" कहा जा सकता है। कंडिका 22 में, निम्नलिखित अवलोकन और निर्णय दिया गया है:*

"22 हमारी सुविचारित राय में, "उत्कृष्ट गवाह" बहुत उच्च गुणवत्ता और क्षमता वाला होना चाहिए, जिसका बयान, इसलिए, अकाट्य होना चाहिए। अदालत ऐसे गवाह के बयान पर विचार करते हुए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे उसके वास्तविक रूप में स्वीकार करने की स्थिति में होनी चाहिए। ऐसे गवाह की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए, गवाह की स्थिति अप्रमाणिक होगी और जो प्रासंगिक होगा वह है ऐसे गवाह द्वारा दिए गए बयान की सत्यता। अधिक प्रासंगिक होगा बयान की शुरुआत से लेकर अंत तक, यानी उस समय जब गवाह प्रारंभिक बयान देता है और अंततः अदालत के समक्ष। यह स्वाभाविक होना चाहिए और अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन पक्ष के मामले के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे गवाह के बयान में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। गवाह किसी भी अवधि और चाहे कितनी भी कठिन जिरह हो, उसे झेलने की स्थिति में होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में घटना के तथ्य, इसमें शामिल व्यक्तियों और उसके क्रम के बारे में किसी भी संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इस तरह

के विवरण का अन्य सभी सहायक सामग्री जैसे बरामदगी, इस्तेमाल किए गए हथियार, अपराध का तरीका, वैज्ञानिक साक्ष्य और विशेषज्ञ की राय से सहसंबंध होना चाहिए। उक्त विवरण हर अन्य गवाह के विवरण से लगातार मेल खाना चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में लागू किए गए परीक्षण के समान होना चाहिए जहां अभियुक्त को उसके खिलाफ कथित अपराध का दोषी ठहराने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला में कोई गुम कड़ी नहीं होनी चाहिए। केवल तभी जब ऐसे गवाह का संस्करण उपरोक्त परीक्षण के साथ-साथ अन्य सभी लागू करने योग्य समान परीक्षणों पर खरा उतरता है, तो यह माना जा सकता है कि ऐसे गवाह को "उत्कृष्ट गवाह" के रूप में बुलाया जा सकता है, जिसका संस्करण अदालत द्वारा बिना किसी पुष्टि के स्वीकार किया जा सकता है और जिसके आधार पर दोषी को दंडित किया जा सकता है। अधिक सटीक होने के लिए, अपराध के मूल स्पेक्ट्रम पर उक्त गवाह का संस्करण बरकरार रहना चाहिए, जबकि अन्य सभी परिचर सामग्री, अर्थात् मौखिक, दस्तावेजी और भौतिक वस्तुओं को सामग्री विवरणों में उक्त संस्करण से मेल खाना चाहिए ताकि अपराध कि सुनवाई करने वाली अदालत को अपराधी को कथित आरोप का दोषी ठहराने के लिए अन्य सहायक सामग्री को छानने के लिए मूल संस्करण पर भरोसा करने में सक्षम बनाया जा सके।"

***5.4.3** कृष्ण कुमार मलिक बनाम हरियाणा राज्य, (2011) 7 एस.सी.सी. 130 के मामले में, इस न्यायालय ने यह देखा और माना कि निस्संदेह, यह सत्य है कि किसी अभियुक्त को बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए, अभियोक्त्री का एकमात्र साक्ष्य पर्याप्त है, बशर्ते कि वह साक्ष्य विश्वास पैदा करे और पूरी तरह से विश्वसनीय, बेदाग और उत्कृष्ट गुणवत्ता का प्रतीत हो।*

25. इसके अलावा, ***नरेंद्र कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2012) 7 एस.सी.सी. 171*** के रूप में प्रतिवेदित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कंडिका संख्या.**22** और **25** में निम्नलिखित माना गया है:

22. जहाँ अभियोक्त्री के साक्ष्य गंभीर कमज़ोरियों और अन्य सामग्री से असंगत पाए जाते हैं, अभियोक्त्री द्वारा जानबूझकर महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुधार किए जाते हैं ताकि उसकी सहमति को खारिज किया जा सके, और उसे कोई क्षति न पहुँचे, भले ही उसका कथन कुछ और हो, उसके साक्ष्य पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। (देखें: सुरेश एन. भुसारे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1999) 1 एस.सी.सी. 220)

25. तमीज़ुद्दीन उर्फ तम्मू बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), (2009) 15 एस. सी. सी. 566 में, इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है:

"यह सच है कि बलात्कार के मामले में अभियोक्त्री के साक्ष्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, लेकिन यह मानना कि इस साक्ष्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, भले ही कहानी असंभाव्य हो और तर्क से परे हो, उन सिद्धांतों का उल्लंघन होगा जो आपराधिक मामले में साक्ष्य के मूल्यांकन को नियंत्रित करते हैं।"

26. इसके अलावा, **मनोहरलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2014) 15 एस.सी.सी. 587** में प्रतिवेदित, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका **8** में निम्नलिखित निर्णय दिया है:

8. हालाँकि कानून की दृष्टि से, अभियोक्त्री की एकमात्र गवाही पर ही अभियुक्त के विरुद्ध मामला साबित करने के लिए पर्याप्त रूप से भरोसा किया जा सकता है, इस मामले में हम पाते हैं कि उसका बयान असंभाव्य है और उसे स्वीकार करना मुश्किल है। इस मुद्दे पर कानून बहुत संक्षेप में नरेंद्र कुमार बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में बताया गया है, जो (2012) 7 एस.सी.सी. 171 में दर्ज है, जिसमें हम में से एक (श्री दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति), एक पक्षकार थे, निम्नलिखित शब्दों में: (एस.सी.सी. पृष्ठ 178, कंडिका 20 और 21):

"20. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि एक बार जब अभियोक्त्री का बयान विश्वास जगाता है और अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो दोषसिद्धि केवल अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित हो सकती है और किसी पुष्टिकरण की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि ऐसे कोई ठोस कारण न हों जो अदालत को उसके बयान की पुष्टि के लिए बाध्य करें। न्यायिक निर्भरता के लिए अभियोक्त्री की गवाही की पुष्टि कानून की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में विवेक के लिए मार्गदर्शन है। मामूली विरोधाभास या महत्वहीन विसंगतियाँ अन्यथा विश्वसनीय अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं होनी चाहिए।

21. बलात्कार के अपराध की पीड़िता होने की शिकायत करने वाली अभियोक्त्री, अपराध के बाद सह-अपराधी नहीं होती। उसकी गवाही को किसी अन्य गवाह की गवाही की तरह ही संभावनाओं के सिद्धांत पर परखा जाना चाहिए; इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विषय-वस्तु एक आपराधिक आरोप है, उच्च स्तर की संभावना मौजूद है। हालाँकि, अगर अदालत को अभियोक्त्री के कथन को उसके प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करना मुश्किल लगता है, तो वह प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य साक्ष्य की तलाश कर सकती है जो उसकी गवाही को आश्वस्त कर सके....."

27. "ऊपर चर्चा किए गए कानूनी अनुपात को आयात करके, हमें अभियोक्त्री/पीड़िता/अ.सा.-4 के बयान/गवाही को स्वीकार करना मुश्किल लगा। हमने अन्य सामग्री से समर्थन की तलाश की, लेकिन सामग्री विवरणों पर पुष्टि का पूर्ण अभाव पाया।"

27.1 सबसे पहले, अ.सा.-4/पीड़िता ने अपनी जिरह में विशेष रूप से यह बयान दिया कि घटना के दौरान उसे चोटें आईं। कमरे के अंदर ले जाने से पहले उसे कुछ दूर तक घसीटा गया और इस प्रक्रिया में उसके पैर, हाथ आदि पर चोटें आईं। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके हाथ पर सूजन और खरोंच के निशान हैं और उसने अपने साथ हुए बलात्कार का भी अपने पूरे प्रयास से विरोध किया, लेकिन अगले ही दिन अ.सा.-8 द्वारा की

गई उसकी मेडिकल जांच में, उसके गुप्तांगों पर और उसके आसपास हिंसा का कोई निशान या कोई दिखाई देने वाली चोट नहीं पाई गई, बल्कि वह मासिक धर्म में पाई गई।

27.2 *दूसरा,* अ.सा.-1, अ.सा.-2 और अ.सा.-3 घटनास्थल पर एक साथ पहुँचे, जो कोई और नहीं बल्कि पीड़िता की मौसी और माँ हैं, जहाँ अ.सा.-1 और अ.सा.-3 ने अपने मुख्य-परीक्षण में गवाही दी कि दरवाज़ा खटखटाने के बाद, उसे अभियुक्त/याचिकाकर्ता ने खोला, जबकि अ.सा.-2 ने गवाही दी कि उसे अभियोक्त्री/पीड़िता ने खोला था।

27.3 *तीसरा,* अ.सा.-4/पीड़िता ने गवाही दी कि वह डॉक्टर के पास और थाने उन्हीं कपड़ों में गई थी जो उसने घटना के दौरान पहने हुए थे, लेकिन अ.सा.-8 ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि पीड़िता को उसके मूल कपड़ों में पेश नहीं किया गया था।

27.4 *चौथा,* अ.सा.-4/पीड़िता ने गवाही दी कि घटना के बाद, जब वह कथित कमरे से बाहर आई, तो उसने किसी भी ग्रामीण को नहीं देखा, लेकिन अपने मुख्य-परीक्षण में ही, उसने गवाही दी कि जैसे ही वह कमलेश यादव के घर से बाहर आई, उसने मालती देवी, इंदु देवी, सुशीला देवी, राजवंती देवी, कमलेश यादव, अखिलेश यादव और गिरिजानंद यादव को देखा, जो सभी अभियुक्त/याचिकाकर्ता के परिवार के करीबी सदस्य थे।

27.5 *पाँचवां,* अ.सा.-3 अभियोक्त्री/पीड़िता की माँ है, जिसने अपने मुख्य परीक्षण में गवाही दी कि जब घटना की शिकायत अखिलेश यादव, मालती देवी, राजवंती देवी, सुशीला देवी, इंदु देवी और कमलेश यादव से की गई, जो अभियुक्त/याचिकाकर्ता के परिवार के सदस्य, माँ और पत्नी हैं, तो उन लोगों ने सावित्री देवी (अ.सा.-1) और समुद्री देवी (अ.सा.-2) के साथ, उन पर शारीरिक हमला किया लेकिन उनकी डॉक्टर द्वारा जाँच नहीं की गई और विचारण न्यायालय के समक्ष चोटों का स्पष्टीकरण न देना भी अभियोजन के लिए घातक प्रतीत होता है।

27.6 *छठी बात,* अ.सा.-3 ने भी अपने मुख्य-परीक्षण में यह गवाही दी कि वह किसी तरह घटनास्थल से भागने में सफल रही और उसके बाद, थाने आई, जहाँ पीड़िता

ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अ.सा.4/पीड़िता ने अपने मुख्य परीक्षण में ही यह गवाही दी कि अभियुक्त/याचिकाकर्ता के माता-पिता को शिकायत करने के बाद केवल और केवल उसकी माता को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया और उसके बाद, सबसे पहले वह अपने नाना के घर आई और उसके बाद, थाने गई।

27.7 *अंत में*, इस मामले के जाँच अधिकारी से पूछताछ न करना भी घातक प्रतीत होता है। इन परिस्थितियों में, हमें अभियुक्त/याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए केवल पीड़िता/अभियोक्त्री के बयान पर भरोसा करना अत्यंत कठिन लगता है। ऊपर वर्णित तथ्यों के मद्देनजर अभियुक्त/याचिकाकर्ता की "*अन्यत्र उपस्थिति की दलील*" पर अलग से चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, हम अभियुक्त/याचिकाकर्ता को संदेह का लाभ देने के लिए इच्छुक हैं।

28. तदनुसार, उपरोक्त तथ्यात्मक चर्चाओं और कानूनी प्रस्तावों के मद्देनजर, हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष अपना मामला उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।

29. इसलिए, अपील स्वीकार की जाती है।

30. बेलागंज थाना कांड संख्या.252/2012, जी.आर. संख्या 3972/2012 से उद्भूत 2014 (ए.न्या.) का 2017/561 का सत्र परीक्षण संख्या.337 में विद्वान अपर जिला न्यायाधीश-पीठासीन अधिकारी, त्वरित न्यायालय, दीवानी न्यायालय, गया द्वारा दिनांक 06.10.2017 को पारित दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दिनांक 07.10.2017 को पारित सजा का परिणामी आदेश, निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/याचिकाकर्ता को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है। उसे तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो।

31. एल. सी. आर., यदि कोई हो, तो इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वत विचारण न्यायालय को वापस भेजा जाए। यदि कोई जुर्माना, अभियुक्त/याचिकाकर्ता द्वारा सजा के आदेश के अनुपालन में अदा किया गया है, तो उसे तुरंत वापस कर दिया जाए।

(श्री विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)

(श्री चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

अर्चना/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।